कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला जांजगीर–चांपा

पुराना कालेज के पीछे, चांपा जिला जांजगीर–चांपा, Email: dtic-janjgir.cg@gov.in

क्रमांक / जिव्याउके–जांचा / विधि / 2021 / 1995 — चांपा, दिनांक 26...08.2021

प्रति,

✓श्री मुकेश कुमार
रजिस्टार
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच,
बी / 35 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
पिन नम्बर– 462011

विषयः– नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बेंच, भोपाल में दायर याचिका कमांक 36 / 2021 के संबंध में।

संदर्भ:– आपका पत्र क्रमांक / F.S./2021/114 Bhopal ,Date 05/07/2021

–0–

उपरोक्त विषयांतर्गत छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क / एफ 19–70 / 2021 / 11 / 6 दिनांक 04.08.2021 द्वारा OA No 36/2021 संगीता दीवान विरूद्ध छ0ग0 शासन व अन्य के लिये प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रकरण में निम्नानुसार बिंदुवार जानकारी इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रकरण पर सुनवाई दिनांक 30.06.2021 में पारित आदेश के बिंदु 5 में दिये गये निर्देशानुसार कलेक्टर जांजगीर–चांपा द्वारा कार्यालय आदेश क. / 8573 दिनांक 20.07.2021 द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जा चुका है।
2. यह कि उक्त समिति को एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया गया था।
3. यह कि संयुक्त सदस्यीय समिति का वास्तविक स्थिति एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।
4. यह कि न्यायालय आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ0ग0) द्वारा मेसर्स अरविंद सिरामिक्स विरूद्ध सरपच ग्राम पंचायत तह.–चांपा वगैरह पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 25 / अ–89 / 2019–20, अफरीद तह.चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा आदेश पत्रक दिनांक 31.03.2020 के नकल की प्रति संलग्न है। आदेश के पैरा 6 के अंतिम 6 पंक्ति में "आवेदक के पक्ष में पूर्व में ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 19.03.2018 को जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र विधि सम्मत होने से उसकी पुष्टि की जाती है। आवेदक द्वारा शासन की नीति के अनुसार जो 06 लघु उद्योग स्थापित किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की बाधा ग्राम पंचायत अफरीद द्वारा उत्पन्न ना की जावे। तदोपरांत प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है" संलग्न है।

अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि संयुक्त सदस्यीय समिति के एक्शन टेकन रिपोर्ट व न्यायालय, आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर छ0ग0 द्वारा राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निराकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
जांजगीर–चांपा

पृ.क्रमांक / जिव्याउके–जांचा / विधि / 2021 / — चांपा, दिनांक.................

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, जांजगीर–चांपा की सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
जांजगीर–चांपा

Scanned with CamScanner

कार्यालय कलेक्टर जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)

:: ज्ञापन ::

क्रमांक/10419/स.अ.सा./2021 जांजगीर, दिनांक 26/08/2021

प्रति,

रजिस्ट्रार
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल

विषयः– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. क्रमांक 36/2021 श्रीमति संगीता दीवान विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ एवं अन्य के संबंध में

संदर्भः– श्री मुकेश गुप्ता रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेन्ट्रल जोनल बेंच, भोपाल का पत्र क्रमांक **D.No./F.S./2021/114, Date 05.07.2021**

विषयातर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक ओ.ए. क्रमांक 36/2021 श्रीमति संगीता दीवान विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य में सुनवाई दिनांक 30.06.2021 द्वारा 03 सदस्यीय समिति के द्वारा वास्तविक स्थित एवं एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय नेशनल ग्रीन टिब्यूलन सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8572/अ.त.लि./2021, जांजगीर, दिनांक 20.07.2021 द्वारा 03 सदस्यीय समिति का गठन किया जाकर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्राप्त किया गया।

संयुक्त सदस्यीय समिति का वास्तविक स्थिति एवं एक्शन टेकन रिर्पोट मूल में संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नः– 03 सदस्यीय समिति का
एक्शन टेकन रिर्पोट मूल में

अपर कलेक्टर,
जिलाः जांजगीर–चांपा

पृष्ठां. क्रमांक/10420/स.अ.सा./2021 जांजगीर, दिनांक 26/08/2021

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, मुख्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सेक्टर–19, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र, आरण्य भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. OIC महाप्रबंधक, जिला व्यपार एवं उद्योग केन्द्र जिला जांजगीर–चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर कलेक्टर,
जिलाः जांजगीर–चांपा

Scanned with CamScanner

Report of the Committee formed as per order of the Hon'ble NGT in the Original Application No. 36/2021 Order Dated 30/06/2021
Smt. Sangeeta Deewan
Vs.
State of Chhattisgarh & Others

The issue raised in the application is establishment of industries in the agricultural/residential area by Respondent No. 9 to 14 having Bhoomidhari land in Village–Afrid, District–Janjgir–Champa, Chhattisgarh. As per the order passed by the Central Zonal Bench of the Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal on 30/06/2021 in the Original Application no. 36/2021, Sangeeta Deewan Vs State of Chhattisgarh and Others, a committee has been formed by the Collector, District- Janjgir- Champa via the office order no. 8573 dated 20/07/2021. The said committee consists of-

1. Mrs. Premlata Yadav, Divisional Forest Officer, District – Janjgir-Champa as representative for Chhattisgarh State Centre for Climate Change.
2. Mr. Subhash Singh Raj, Sub–Divisional Magistrate (Revenue), District – Janjgir-Champa, (C.G.) as representative for Collector, District- Janjgir-Champa
3. Mr. Devvrat Mishra, Regional Officer, Regional Office, Chattisgarh Environement Conservation Board, Bilaspur (C.G.) as representative for Chhattisgarh Environment Conservation Board.

The action taken report of Chhattisgarh Environment Conservation Board on the alleged ceramic industries in regard to the issues raised within the Original Application No. 36/2021 oder dated 30/06/2021 is submitted for your kind perusal and further necessary action.

(Devvrat Mishra)
Regional Officer
Regional Office,
Chhattisgarh Environment
Conservation Board,
Bilaspur

Scanned with CamScanner

Report of the Committee formed as per order of the Hon'ble NGT in the Original Application No. 36/2021 Order Dated 30/06/2021

Smt. Sangeeta Deewan

Vs.

State of Chhattisgarh & Others

S.No.	Key point mentioned in the Order of the Hon'ble National Green Tribunal	Response of the Chhattisgarh Environment Conservation Board
1.	The issue raised in this application is establishment of industries in the agricultural/residential area by Respondent No. 9 to 14 having Bhoomidhari land in Village Afrid, District Janjhgir, Champa, Chhattisgarh. It is alleged that by concealment of facts, no objection certificate was obtained from Gram Panchayat, village Afrid for establishing of cottage industry on the agricultural land and later on respondents applied to the Collector for change in nature of land from agricultural land to industrial land, which without ascertaining that land in issue of private respondents is situated in mid of the village and is surrounded by fertile farmlands, granted the permission vide order dated 17.05.2019. On the complaint of the villagers and considering the seriousness of the issue, Conservation Board after inspection, vide letter dated 07.09.2018, apprised the Respondent No. 2 that the	The Ceramic Industries which are being alleged are the following :- 1. M/s Monoflux Industries- II, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 808/2, Dist.- Janjgir- Champa. 2. M/s Speciality Ceramics, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 809/2, Dist.- Janjgir- Champa. 3. M/s Shubh Ceramics, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 809/1, 853/5, 809/4, Dist.- Janjgir- Champa. 4. M/s Arvind Ceramics-II, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 853/6, Dist.- Janjgir- Champa. 5. M/s Shri Krishna Ceramics, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 809/6, 806/3, 808/1, Dist.- Janjgir- Champa. 6. M/s Arya Industries, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 808/2, Dist.- Janjgir- Champa. Before Issuance of the Consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Regional Office, Chhattisgarh Environment Convervsation Board (CECB), Bilaspur has received a complaint from the residents of Village–Afrid, District–Janjgir–Champa, (C.G.) on 09/07/2018. The said complaint was alleging that the ceramic industries so being established are illegal and having the potential to cause harm to the environment and the ecology of the surroundings. After receipt of the complaint, an inspection has been carried out on date 04/09/2018 by the officers of CECB, Bilaspur. In the inspection following facts were found :- 1. Land leveling works have been done in the 100 meter from the road to proposed site. 2. Electric pole has been there in the proposed site. 3. Proposed land is surrounded by the agricultural land. 4. Natural drain near to the proposed site approx. 100

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

land in issue has been in the nature of agricultural land and by conversion into the industrial use, it may drastically affect the ecology and nearby environment. It is further alleged that construction of industry on agricultural land, despite being industrial area earmarked in their vicinity is bad in law and illegal and is drastically and negatively affecting the nearby environment.	meter distance has been found. 5. Residential area has been established approx. 1 kilometer to the proposed site. Also, Land has not been diverted from agricultural land to industrial land. Due to the regular complaints from the residents and non diversion of agricultural land to industrial land, Regional Office, CECB, Bilaspur has not issued consent to the industries and requested the District Trade and Industry Center, Janjgir-Champa and Industrial Health and Safety Department, Janjgir-Champa not to issue NOCs. After receipt of the land diversion and NOCs from the other departments as mentioned above and fact that the NOC for the establishment of ceramic industries has been obtained from the concerned gram panchayats by the Ceramic industries as mentioned in the inspection report dated 23/07/2019, Regional Office, CECB, Bilaspur issued the consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 vide letter dated 23/07/2019 with the following special conditions to prevent the water pollution and air pollution in the vicinity:- **Special conditions mentioned in the consent issued under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 to prevent the water pollution in the vicinity –** *"1. Industry shall provide proper treatment facility of adequate capacity for treatment of industrial effluent, as applicable and domestic effluent to ensure the treated effluent meets the standards described the Board and notified in gazette dated 25-03-1988.* *2. The treated effluent, as applicable and domestic effluent shall be utilized for plantationwithin the premises in any circumstances. The concept of "Zero discharge" condition at all the time shall be maintained."* **Special conditions mentioned in the consent issued under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to prevent the air pollution in the vicinity –** *1. Industry shall provide proper air pollution control equipments of adequate capacity at all the points of emissions and shall ensure that these are always kept running and in good working order all the*

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

	time. In case of failure it shall be immediately rectified or some alternate arrangement be made. 2. *Minimum height of the stacks shall not be less than 30 meter. Emission of particulate matter from chimney shall not exceed 50 mg/Nm^3. Arrangement of port hole, plate form and ladder etc. shall be made for monitoring purposes at appropriate height of the stack.* **Presently the industries are still under coonstruction and have not yet started their operation.**

Scanned with CamScanner

Report of the Committee formed as per order of the Hon'ble NGT in the Original Application No. 36/2021 Order Dated 30/06/2021

Smt. Sangeeta Deewan

Vs.

State of Chhattisgarh & Others

The issue raised in the application is establishment of industries in the agricultural/residential area by Respondent No. 9 to 14 having Bhoomidhari land in Village–Afrid, District–Janjgir–Champa, Chhattisgarh. As per the order passed by the Central Zonal Bench of the Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal on 30/06/2021 in the Original Application no. 36/2021, Sangeeta Deewan Vs State of Chhattisgarh and Others, a committee has been formed by the Collector, District- Janjgir- Champa via the office order no. 8573 dated 20/07/2021. The said committee consists of-

1. Mrs. Premlata Yadav, Divisional Forest Officer, District – Janjgir-Champa as representative for Chhattisgarh State Centre for Climate Change.
2. Mr. Subhash Singh Raj, Sub-Divisional Magistrate (Revenue), District – Janjgir-Champa, (C.G.) as representative for Collector, District- Janjgir-Champa
3. Mr. Devvrat Mishra, Regional Officer, Regional Office, Chattisgarh Environement Conservation Board, Bilaspur (C.G.) as representative for Chhattisgarh Environment Conservation Board.

The said committee has formed this factual and action taken report on the alleged ceramic industries in regard to the issues raised within the Original Application No. 36/2021, which is submitted before the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zonal Bench for its kind perusal and further necessary action.

(Devvrat Mishra)
Regional Officer
Regional Office,
Chhattisgarh Environment
Conservation Board, Bilaspur

(Subhash Singh Raj)
Sub Divisional Magistrate
(Revenue)
District–Janjgir–Champa
(C.G.)

(Premlata Yadav)
Divisional Forest Officer
District–Janjgir–Champa
(C.G.)

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल
व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 826 /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2021 बिलासपुर, दिनांक: 13/08/2021.

प्रति,

कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

विषय :– माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल द्वारा प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 36/2021 श्रीमती संगीता दीवान विरूद्ध स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एवं अन्य के संबंध में।

संदर्भ :– अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, (अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा) जिला–जांजगीर–चांपा का पत्र क्रमांक 8572/अ.व.लि./2021 जांजगीर दिनांक 20.07.2021

—::00::—

उपरोक्त विषयांतर्गत् संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय एनजीटी में लंबित विषयांकित प्रकरण में 03 सदस्यीय समिति बनाई गई है। उक्त समिति को एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। समिति में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के अतिरिक्त वनमण्डलाधिकारी, जिला–जांजगीर–चांपा एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा भी सदस्य है। वनमण्डलाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा प्रकरण के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा को सीधे प्रस्तुत की जायेगी। प्रकरण के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त के संबंध में आपसे अनुरोध है कि समिति के अन्य सदस्यों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत मंडल का प्रतिवेदन भी अन्य सदस्यों के प्रतिवेदन के साथ समायोजित कर माननीय एनजीटी के समक्ष प्रेषित करने का कष्ट करें। मंडल का प्रतिवेदन कृपया अवलोकनार्थ/अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर, (छ.ग.)

पृ. क्रमांक /क्षेका/छ.ग.प.सं.मं./2021 बिलासपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, सेक्टर–19, पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, (अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा) जिला–जांजगीर–चांपा की ओर आपके संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वनमण्डलाधिकारी, जिला–जांजगीर–चांपा की ओर संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा की ओर संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

Report of the Committee formed as per order of the Hon'ble NGT in the Original Application No. 36/2021 Order Dated 30/06/2021

Smt. Sangeeta Deewan
Vs.
State of Chhattisgarh & Others

The issue raised in the application is establishment of industries in the agricultural/residential area by Respondent No. 9 to 14 having Bhoomidhari land in Village–Afrid, District–Janjgir–Champa, Chhattisgarh. As per the order passed by the Central Zonal Bench of the Hon'ble National Green Tribunal, Bhopal on 30/06/2021 in the Original Application no. 36/2021, Sangeeta Deewan Vs State of Chhattisgarh and Others, a committee has been formed by the Collector, District- Janjgir- Champa via the office order no. 8573 dated 20/07/2021. The said committee consists of-

1. Mrs. Premlata Yadav, Divisional Forest Officer, District – Janjgir-Champa as representative for Chhattisgarh State Centre for Climate Change.
2. Mr. Subhash Singh Raj, Sub–Divisional Magistrate (Revenue), District – Janjgir-Champa, (C.G.) as representative for Collector, District- Janjgir-Champa
3. Mr. Devvrat Mishra, Regional Officer, Regional Office, Chattisgarh Environement Conservation Board, Bilaspur (C.G.) as representative for Chhattisgarh Environment Conservation Board.

The action taken report of Chhattisgarh Environment Conservation Board on the alleged ceramic industries in regard to the issues raised within the Original Application No. 36/2021 oder dated 30/06/2021 is submitted for your kind perusal and further necessary action.

(Devvrat Mishra)
Regional Officer
Regional Office,
Chhattisgarh Environment
Conservation Board,
Bilaspur

Scanned with CamScanner

Report of the Committee formed as per order of the Hon'ble NGT in the Original Application No. 36/2021 Order Dated 30/06/2021
Smt. Sangeeta Deewan
Vs.
State of Chhattisgarh & Others

S.No.	Key point mentioned in the Order of the Hon'ble National Green Tribunal	Response of the Chhattisgarh Environment Conservation Board
1.	The issue raised in this application is establishment of industries in the agricultural/residential area by Respondent No. 9 to 14 having Bhoomidhari land in Village Afrid, District Janjhgir, Champa, Chhattisgarh. It is alleged that by concealment of facts, no objection certificate was obtained from Gram Panchayat, village Afrid for establishing of cottage industry on the agricultural land and later on respondents applied to the Collector for change in nature of land from agricultural land to industrial land, which without ascertaining that land in issue of private respondents is situated in mid of the village and is surrounded by fertile farmlands, granted the permission vide order dated 17.05.2019. On the complaint of the villagers and considering the seriousness of the issue, Conservation Board after inspection, vide letter dated 07.09.2018, apprised the Respondent No. 2 that the	The Ceramic Industries which are being alleged are the following :- 1. M/s Monoflux Industries- II, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 808/2, Dist.- Janjgir- Champa. 2. M/s Speciality Ceramics, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 809/2, Dist.- Janjgir- Champa. 3. M/s Shubh Ceramics, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 809/1, 853/5, 809/4, Dist.- Janjgir- Champa. 4. M/s Arvind Ceramics-II, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 853/6, Dist.- Janjgir- Champa. 5. M/s Shri Krishna Ceramics, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 809/6, 806/3, 808/1, Dist.- Janjgir- Champa. 6. M/s Arya Industries, Village- Afrid, P.H.- 08, Khasra No.- 808/2, Dist.- Janjgir- Champa. Before Issuance of the Consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservsation Board (CECB), Bilaspur has received a complaint from the residents of Village–Afrid, District–Janjgir–Champa, (C.G.) on 09/07/2018. The said complaint was alleging that the ceramic industries so being established are illegal and having the potential to cause harm to the environment and the ecology of the surroundings. After receipt of the complaint, an inspection has been carried out on date 04/09/2018 by the officers of CECB, Bilaspur. In the inspection following facts were found :- 1. Land leveling works have been done in the 100 meter from the road to proposed site. 2. Electric pole has been there in the proposed site. 3. Proposed land is surrounded by the agricultural land. 4. Natural drain near to the [illegible]

Scanned with CamScanner

land in issue has been in the nature of agricultural land and by conversion into the industrial use, it may drastically affect the ecology and nearby environment. It is further alleged that construction of industry on agricultural land, despite being industrial area earmarked in their vicinity is bad in law and illegal and is drastically and negatively affecting the nearby environment.	meter distance has been found. 5. Residential area has been established approx. 1 kilometer to the proposed site. Also, Land has not been diverted from agricultural land to industrial land. Due to the regular complaints from the residents and non diversion of agricultural land to industrial land, Regional Office, CECB, Bilaspur has not issued consent to the industries and requested the District Trade and Industry Center, Janjgir-Champa and Industrial Health and Safety Department, Janjgir-Champa not to issue NOCs. After receipt of the land diversion and NOCs from the other departments as mentioned above and fact that the NOC for the establishment of ceramic industries has been obtained from the concerned gram panchayats by the Ceramic industries as mentioned in the inspection report dated 23/07/2019, Regional Office, CECB, Bilaspur issued the consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 vide letter dated 23/07/2019 with the following special conditions to prevent the water pollution and air pollution in the vicinity:– **Special conditions mentioned in the consent issued under Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 to prevent the water pollution in the vicinity –** "*1. Industry shall provide proper treatment facility of adequate capacity for treatment of industrial effluent, as applicable and domestic effluent to ensure the treated effluent meets the standards described the Board and notified in gazette dated 25-03-1988.* *2. The treated effluent, as applicable and domestic effluent shall be utilized for plantationwithin the premises in any circumstances. The concept of "Zero discharge" condition at all the time shall be maintained.*" **Special conditions mentioned in the consent issued under Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to prevent the air pollution in the vicinity –** *1. Industry shall provide proper air pollution control equipments of adequate capacity at all the points of emissions and shall ensure that these are always* [illegible]

	time. In case of failure it shall be immediately rectified or some alternate arrangement be made. 2. *Minimum height of the stacks shall not be less than 30 meter. Emission of particulate matter from chimney shall not exceed 50 mg/Nm³. Arrangement of port hole, plate form and ladder etc. shall be made for monitoring purposes at appropriate height of the stack.* **Presently the industries are still under coonstruction and have not yet started their operation.**

Scanned with CamScanner

न्यायालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर (छ.ग.)
प्रतिलिपि : पुनरीक्षण प्र. क्र. 25 अ 89/2019-20.
मेसर्स अरविंद सिरामिक्स वि. सरपंच ग्राम पंचायत अफरीद तहसील चांपा जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) आदेश पत्रक दि. 31-03.2020 की नकल। [illegible]

राजस्व आदेश अनुवृत्ति–पत्र

मेसर्स अरविंद सिरामिक्स विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत अफरीद, तह0 चांपा वगै0

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 25/अ-89/2019–20, अफरीद तह0 चांपा जिला–जांजगीर–चांपा,

(1)	(2)	(3)
31/3/2020	(1) यह पुनरीक्षण ग्राम पंचायत अफरीद द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 27.02.2020 एवं ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 09.06.2018 एवं 06.03.2020 व उसके पालन में सरपंच द्वारा 06 लघु उद्योग ईकाई जमडीनाला के पास ग्राम अफरीद को बंद करते हुये निर्माण कार्य रोकने के अदिनांकित आदेश के विरूद्व छ0ग0पंचायत राज अधिनियम की धारा–91 सहपठित नियम–5 छ0ग0पंचायत (अपील, तथा पुनरीक्षण) नियम–1995 के अंतर्गत आवेदक के द्वारा पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है। (2) आवेदक को प्रस्तुत पुनरीक्षण की ग्राहयता पर सुना गया। (3) आवेदक के द्वारा तर्क में मुख्य रूप बताया गया कि ग्राम अफरीद तहसील चांपा जिला जांजगीर–चांपा में उसे 06 लघु उद्योगो कमशः (1) मेसर्स अरविंद सिरामिक्स, (2) मेसर्स स्पेशलिटी सिरामिक्स, (3) मेसर्स मोनोफल्कस इण्डस्ट्रीज (4) मेसर्स आर्या इण्डस्ट्रीज, (5) मेसर्स शुभ सिरामिक्स एवं (6) मेसर्स श्री कृष्णा सिरामिक्स को स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत अफरीद द्वारा दिनांक 19.03.2018 को सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, जिसके आधार पर आवेदक अन्य शासकीय कार्यालयो से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लघु उद्योग स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया। (4) ग्राम निवासी श्रीमती चिंता बाई भैना द्वारा जनदर्शन में दिनांक 24.06.2019 को कलेक्टर जांजगीर–चांपा के समक्ष दिनांक 09.06.2018 को ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुये उद्योग के निर्माण को बंद करते हुये पूर्व में दिये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 19.03.2018 को भी निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया। कलेक्टर जांजगीर–चांपा के द्वारा महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केंन्द्र जांजगीर–चांपा को जॉच हेतु आवेदन प्रेषित किया। जॉचोपरांत दिनांक 09.07.2019 को यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि 06 लघु उद्योगो को	

प्रमाणित

[signature] 29-05-2020

[illegible] बिलासपुर (छ.ग.)

362
15.05.2020

नियमानुसार सभी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्ति के पश्चात् उद्योग स्थापित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के द्वारा झूठी शिकायत की गई है, जो पूर्णतः तथ्यहीन है।

(5) ग्राम पंचायत के नये गठन के पश्चात् सरपंच एंव सचिव ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 27.02.2020 को एवं 06.03.2020 को विधि विरूद्व तरीके से उद्योग बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया और इन्ही प्रस्ताव एवं पूर्व मे दिनांक 09.06.2018 को पारित प्रस्ताव के आधार पर उद्योग को बंद करने का आदेश/पत्र आवेदक को प्रेषित किया जिसमें कोई दिनांक भी अंकित नही है। यह पत्र आवेदक को दिनांक 20.03.2020 को प्राप्त हुआ। आवेदक ने उपरोक्त तथ्य बताते हुये ग्राम पंचायत के प्रस्तावो एवं आदेश/पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया।

(6) प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्को को मनन किया गया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों को परिशीलन किया गया। तदोपरांत पुनरीक्षण ग्राहयता पर सुनवाई के स्तर पर ही गुण-दोष के आधार पर अंतिम निर्णण पारित किया जा रहा है। आवेदक ने विधिवत ग्राम पंचायत के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 19.03.2018 प्रस्ताव कमांक-16 के द्वारा 06 लघु उद्योग स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अफरीद से प्राप्त किया था, जिसमें यह शर्त अधिरोपित थी कि (1) उद्योग नशामुक्त होना चाहिये (2) प्रदूषण संबंधी पर्यावरण विभाग के नियमों का अनिवार्यतः पालन किया जायेगा। (3) <u>ग्रामीण/स्थानीय</u> युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने मे प्राथमिकता दी जायेगी। इस आधार पर आवेदक ने पर्यावरण विभाग से दिनांक 23.07.2019 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया, एवं उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरांत आवेदक द्वारा लघु उद्योग स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया। नई ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के द्वारा आवेदक को सुनवाई के अवसर दिये बिना ही पूर्व में ग्राम पंचायत के द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करते हुये उद्योग के निर्माण को

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
कलिष्टर ... (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

बंद करने का प्रस्ताव पारित कर आवेदक को निर्माण बंद करने का पत्र भी जारी कर दिया जिसमें कोई दिनांक भी अंकित नही है। पूर्व में कलेक्टर जांजगीर-चांपा के द्वारा इस संबंध में जिला व्यापार एवं उद्योग केंन्द्र जांजगीर-चांपा के महाप्रबंधक एवं डिप्टी कलेक्टर जांजगीर-चांपा के द्वारा संयुक्त रूप से जॉच रिपोर्ट मंगवाया गया था जिसमें शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी होने का जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.07.2019 को दिया गया था। सरपंच द्वारा बिना किसी कारण के एवं आवेदक को सुनवाई के अवसर दिये बिना ही पूर्व के अनापत्ति प्रमाण-पत्र को निरस्त करते हुये नया प्रस्ताव जो उद्योग बंद करने का पारित किया है, वह प्रथम दृष्टया ही क्षेत्राधिकार विहीन एवं त्रुटिपूर्ण एवं तथ्यो के विपरीत पाया जाता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम पंचायत अफरीद द्वारा दिनांक 09.06.2018, दिनांक 27.02.2020 एवं दिनांक 06.03.2020 विधि विरूद्ध होकर नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत होने से एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। एवं ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक के पक्ष में ग्राम अफरीद जमड़ीनाला के पास स्थापित की जा रहे 06 लघु उद्योग ईकाईयो के निर्माण को रोकने एवं उद्योग को बंद करने का आदेश/पत्र जिसमें कोई दिनांक भी अंकित नहीं है को भी त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है, एवं आवेदक के पक्ष में पूर्व में ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 19.03.2018 को जारी सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र विधि सम्मत होने से उसकी पुष्टि की जाती है। आवेदक द्वारा शासन की नीति के अनुसार जो 06 लघु उद्योग स्थापित किया जा रहा है, उसमे किसी प्रकार की बाधा ग्राम पंचायत अफरीद द्वारा उत्पन्न न की जावे। तदोपरांत प्रस्तुत पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है।

(7) प्रकरण पंजीबद्ध एवं नस्तीबद्ध उपरांत अभिलेखकोष्ठ भेजा जाये।

31/5/2020

आयुक्त,
बिलासपुर संभाग, बिलासपुर

29-05-2020

362
15-05-2020

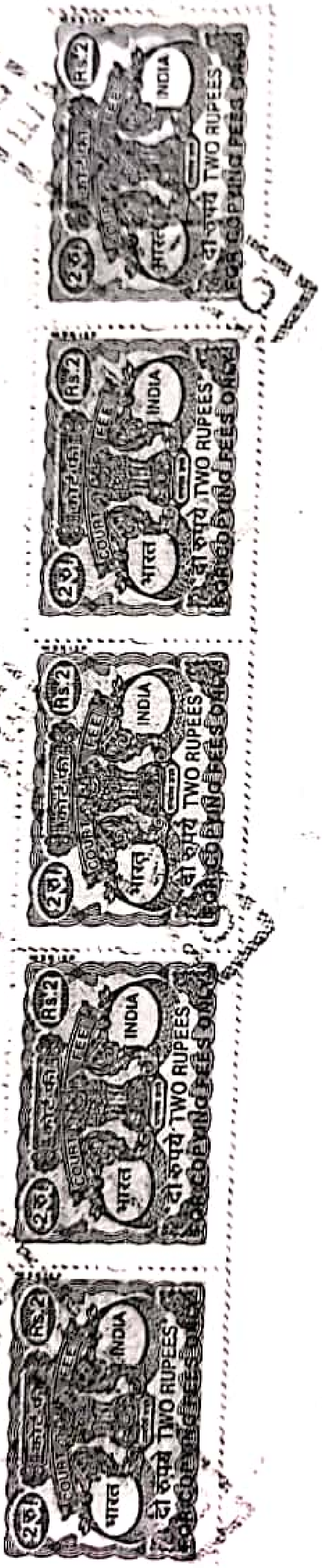

15.05.2020
21.05.2020

29-05-2020
29-05-2020
30=00

29-05-2020

आमालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा के प्रकरण क्रमांक 25/अ-2/2018-19 आवेदक श्री कृष्णा सिरामिक्स के प्रकरण में आदेश पत्र दि. 19-8-2019 की प्रतिलिपि

07.08.2019

आवेदक श्री कृष्णा सिरामिक्स ने त्रुटि सुधार किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण पीठासीन अधिकारी महोदय के समक्ष रखा जाये।

16.08.2019

डिप्टी कलेक्टर
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

16.08.2019

आवेदक उपस्थित। पीठासीन अधिकारी प्रवास पर होने के कारण तिथि बढ़ाई गई।

19.08.2019

डिप्टी कलेक्टर
हेतु– कलेक्टर
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

19.08.2019

आवेदक उपस्थित। आवेदक को सुना गया। आवेदक ने अपने तर्क में बताया कि उसके द्वारा ग्राम अफरीद स्थित भूमि ख.न. 808/2 रकबा 1.20 एकड़ भूमि को औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु माननीय न्यायालय के रा.प्र.क. 25/अ–2/2018–19 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2019 के अनुसार आवेदित भूमि ख.न. 808/2 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश 802/2 टंकण हो गया है। अतः उक्त त्रुटि को सुधार किया जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा तर्कों का परिशीलन किया गया। इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश 27.05.2019 में आवेदित भूमि ख.न. 808/2 के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश 802/2 टंकण हुआ है। अतः ख.न. 802/2 के स्थान पर 808/2 पढ़ा जावे। शेष आदेश यथावत रहेगा। प्रकरण आदेशानुसार कार्यवाही हेतु प्रकरण मूलतः अधीक्षक भू–अभिलेख परिवर्तित भूमि जांजगीर–चांपा को भेजा जाये।

कलेक्टर
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner